संघ का ज्ञापन, नियम और विनियम तथा उप नियम

MEMORANDUM OF ASSOCIATION, RULES & REGULATIONS AND BYE-LAWS

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद

नई दिल्ली

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDIC SCIENCES

NEW DELHI

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	संघ का ज्ञापन	1 से 9
2.	नियम और विनियम	10-24
3.	उप नियम	25-34
4.	अनुलग्नक (उप-नियम 45)	35
5.	अनुसूची-I	36-42
6.	अनुसूची-II	43-44
7.	अनुसूची-III	45
8.	23वीं शासी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त	46-50

1. केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद का ज्ञापन

1. नाम:

सोसाइटी का नाम केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद है जिसे आगे केंद्रीय परिषद के रूप में संदर्भित किया गया है । यह भूतपूर्व केंद्रीय भारतीय चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के कार्यालय में से एक है।

2. पंजीकृत कार्यालय:

सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथिक अनुसंधान भवन, 61-65, संस्थागत क्षेत्र, डी-ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में स्थित है।

3. परिभाषाएँ:

1) 'केंद्रीय परिषद' का अर्थ है केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद।
2) 'महानिदेशक' का अर्थ केंद्रीय परिषद के महानिदेशक है।
3) 'गैर-सरकारी सदस्य' का अर्थ आधिकारिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य है।
4) 'अध्यक्ष' का अर्थ केंद्रीय परिषद का अध्यक्ष है।
5) 'उपाध्यक्ष' का अर्थ केंद्रीय परिषद के उपाध्यक्ष है।
6) "कार्यकारिणी समिति' का अर्थ केंद्रीय परिषद की कार्यकारिणी समिति है।
7) 'शासी निकाय' का अर्थ केंद्रीय परिषद का शासी निकाय है।
8) 'सदस्य' का अर्थ है परिषद के शासी निकाय/कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जैसा लागू हो।
9) 'सदस्य सचिव' का अर्थ है केंद्रीय परिषद की शासी निकाय / कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव है; जैसा लागू हो।

4. उद्देश्य:-

केंद्रीय परिषद की स्थापना निम्न उद्देश्यों हेतु की गई है;

1) आयुर्वेदिक विज्ञान में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के लक्ष्य और प्रतिरूप/पैटर्न तैयार करना।
2) आयुर्वेदिक विज्ञान में स्नातक, स्नातकोत्तर और पोस्ट-डॉक्टरेट शैक्षिक कार्यक्रमों सहित आयुर्वेदिक विज्ञान में कोई शोध या अन्य संबंधित कार्यक्रम आरंभ करना।

3) अनुसंधान में प्रायः रोग के कारण, प्रसारण तथा रोकथाम संबंधी ज्ञान के प्रचार और प्रयोगात्मक उपायों का अनुसरण तथा सहायता करना।
4) आयुर्वेदिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं, मौलिक और व्यावहारिक पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान आरंभ करना, सहायता करना, विकसित करना एवं समन्वय करना तथा रोगों के अध्ययन, उनकी रोकथाम, कारण, उपचार एवं उपचार हेतु अनुसंधान संस्थानों की बढ़ावा देना तथा सहायता करना।
5) केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों की आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
6) केंद्रीय परिषद के समान उद्देश्यों में रुचि रखने वाले अन्य संस्थानों, संघों और समाजों तथा विशेष रूप से पूर्वी एशिया और भारत में रोगो के अवलोकन तथा अध्ययन करने वालो की सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
7) केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों की पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संस्थानों और अन्य सुविधाओं की स्थापना, लैस तथा रखरखाव करना।
8) केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों की आगे बढ़ाने हेतु कागजात, पोस्टर, पैम्फलेट, पत्रिकाओं, मानक उपचार प्रोटोकॉल और पुस्तकों की तैयार करना, प्रिंट करना, प्रकाशित करना एवं प्रदर्शित करना तथा ऐसे साहित्य के विकास में योगदान देना।
9) केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों की आगे बढ़ाने के लिए अपील जारी करना तथा धन एवं निधि हेतु आवेदन करना और पूर्वोक्त उद्देश्य हेतु उपहार, दान, नकद और प्रतिभूतियों की सदस्यता तथा चल अथवा अचल कोई संपत्ति स्वीकार करना ।
10) केंद्रीय परिषद से संबंधित सभी अथवा किसी भी अचल या चल संपत्तियों को गिरवी रखकर या, माल बंधन या प्रतिभूति बंधक शुल्क पर अथवा प्रतिभूति या उसके बिना या किसी भी अन्य तरीके से धन उधार लेना या जुटाना।
11) केंद्रीय परिषद के धन तथा निधि, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, के निवेश और सौदा करने के लिए या केंद्रीय परिषद को सौंपे जाने के लिए समय-समय पर केंद्रीय परिषद के शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
12) केंद्रीय परिषद की निधियों को भारत सरकार के पास रखने की अनुमति देना।
13) केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक या सुविधाजनक किसी भी चल या अचल संपत्ति को अस्थायी या स्थायी रूप से प्राप्त करना और धारण करना।
14) केंद्रीय परिषद की किसी भी चल या अचल संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने, गिरवी रखने और विनिमय करने और अन्यथा हस्तांतरण करना, अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई हो।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

15) केंद्रीय परिषद के उद्देश्य हेतु आवश्यक या सुविधाजनक अनुसंधान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या कार्यों की स्थापना सहित किसी भी भवन की खरीद, निर्माण, रखरखाव और परिवर्तन करना ।

16) वचन या स्वीकृति वांछनीय लगती है, दान के लिए किसी विन्यास या न्यास निधि के प्रबंधन का भार लेना या स्वीकार करना।

17) केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों की आगे बढ़ाने में यात्रा सहायता सहित पुरस्कार प्रदान करना और फेलोशिप, छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्रदान करना।

18) सोसायटी के तहत प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और लिपिकवर्गीय और अन्य पद सृजित करना और सोसायटी के नियमों और विनियमों के अनुसार नियुक्तियां करना।

19) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुबंध के आधार पर परियोजना के तहत प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकवर्गीय और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना।

20) केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों तथा/या उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए भविष्य निधि तथा/या पेंशन निधि की स्थापना करना।

21) आयुर्वेदिक विज्ञान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा भाग लेना।

22) अनुसंधान एवं विकास परामर्श परियोजनाएं आरंभ करना तथा औषधियो पर पेटेंट का हस्तांतरण और उद्योग की प्रक्रिया करना।

23) सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उद्योगों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की आरंभ करना।

24) अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-एजेंसी सहयोग करना।

25) किए गए शोध के परिणामों का उपयोग करना तथा ऐसे शोध की आगे बढ़ाने में योगदान देने वालों की रॉयल्टी/परामर्श शुल्क के हिस्से का भुगतान।

26) वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, अध्ययन दौरों, विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण, संयुक्त परियोजनाओं के संचालन आदि के लिए अन्य देशों की वैज्ञानिक एजेंसियों के साथ व्यवस्था करना।

27) परिषद की गतिविधियों के अनुरूप मामलों में सरकारी/निजी एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

28) उद्देश्यों को प्राप्त करने में अनुसंधान और वैज्ञानिक संस्थानों, शिक्षाविदों में भारत सरकार के साथ सहयोग करना।

29) अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों / चिकित्सकों से मिलकर प्रबंधन समितियों का गठन करना और केंद्रीय परिषद के साथ-साथ परिषद के

सभी अनुसंधान संस्थानों की गतिविधियों में सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

30) केंद्रीय परिषद के अनुसार आवश्यक अथवा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या अनुकूल या ऐसे अन्य सभी वैध कार्य या तो अकेले या दूसरों के साथ मिलकर करना।

31) केंद्रीय परिषद की संपत्ति शासी निकाय में और किसी भी कार्यवाही में निहित होगी; नागरिक या आपराधिक को शासी निकाय की संपत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

32) किसी भी कार्यवाही में, केंद्रीय परिषद महानिदेशक या ऐसे अन्य सदस्य के नाम पर मुकदमा कर सकती है जो संबंधित मामले के संदर्भ में शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5. संपत्ति का प्रबंधन

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू सीमाओं के अधीन, केंद्रीय परिषद की आय और संपत्ति, ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों के लिए लागू की जाएगी। केंद्रीय परिषद की आय या संपत्ति के किसी भी हिस्से का भुगतान या हस्तांतरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह से, लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को नहीं किया जाएगा जो किसी भी समय केंद्रीय परिषद के सदस्य हैं या रहे हैं। परिषद या उनमें से किसी को या उनके या उनमें से किसी के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बशर्ते कि इसमें शामिल यात्रा भत्ता, मानदेय और अन्य शुल्कों के भुगतान या किसी भी व्यक्ति को उनके द्वारा केंद्रीय परिषद प्रदान की गई सेवाओं के बदले में सद्भावपूर्वक भुगतान करने से नहीं रोकेगा। ।

6. शासन संरचना

परिषद में एक शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति और परिषद के मामलों के प्रबंधन के लिए एक स्थायी वित्त समिति होगी। केंद्रीय परिषद के पहले शासी निकाय के सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय और पदनाम जिन्हें इसके मामलों का प्रबंधन सौंपा गया था, इस प्रकार हैं। ऐसे निकायों की संरचना किसी भी समय परिषद के नियमों और विनियमों में दी गई होगी।

क्र सं.	**नाम**	**पता**	**व्यवसाय**	**पद**	**हस्ताक्षर**
1.	श्री राज नारायण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली	केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	अध्यक्ष	हस्ताक्षर
2.	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली	राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	उपाध्यक्ष-1	हस्ताक्षर
3.	श्री के पी	स्वास्थ्य एवं परिवार	अपर सचिव, राज्य	उपाध्यक्ष-2	हस्ताक्षर

	सिंह	कल्याण राज्य मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली	मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
4.	श्री एन.एन. वोहरा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव	सदस्य	हस्ताक्षर
5.	श्री प्रेम नाथ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव (एफ़ए)	सदस्य	हस्ताक्षर
6.	पं. शिव शर्मा	बहारेस्तान, बोमंजी पतित रोड, कुंभला हिल, मुंबई-400036	-	सदस्य	हस्ताक्षर
7.	डॉ. एम.एल. द्विवेदी	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	कुलपति	सदस्य	हस्ताक्षर
8.	वैद्य बी. डी. त्रिगुणा	143-सराय काले खां, निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली	विशेषज्ञ	सदस्य	हस्ताक्षर
9.	वैद्य बी. एम. दीक्षित	ज्ञानवापी, वाराणसी	विशेषज्ञ	सदस्य	हस्ताक्षर
10.	डॉ. सी. के. अटल	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	निदेशक	सदस्य	हस्ताक्षर
11.	प्रो. आशिमा चर्टजी	रसायन विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	विभागाध्यक्ष	सदस्य	हस्ताक्षर
12.	प्रो. जी. संता कुमारी	औषध विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	विभागाध्यक्ष	सदस्य	हस्ताक्षर
13.	वैद्य एस.के. मिश्रा	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	निदेशक	सदस्य	हस्ताक्षर
14.	डॉ. ए. आनंदा कुमार	14, राघवै स्ट्रीट, टी. नगर, मद्रास-600017	विशेषज्ञ	सदस्य	हस्ताक्षर
15.	डॉ. वी. रघुपति	अंबासमुद्रम, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडू	विशेषज्ञ	सदस्य	हस्ताक्षर
16.	डॉ. पी. एन. व. कुट्टुप	आईएसएम	सलाहकार (आईएसएम), पदेन निदेशक	सदस्य	हस्ताक्षर

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

7. केंद्रीय परिषद के प्राधिकारी

निम्नलिखित निकाय/समितियां केंद्रीय परिषद के प्राधिकारी होंगे:-

(क) शासी निकाय;

(ख) कार्यकारिणी समिति;

(ग) स्थायी वित्त समिति

(क) शासी निकाय

केंद्रीय परिषद के शासी निकाय के मौजूदा सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय और पदनाम जिन्हें इसके मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है, इस प्रकार हैं; -

क्र. सं.	नाम	पता	व्यवसाय	पदनाम
1.	श्री श्रीपद येस्सो नायक	आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, नई दिल्ली	प्रभारी मंत्री, आयुष मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	वैद्य राजेश कोटेचा	आयुष भवन, नई दिल्ली	सचिव, आयुष मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती विजया श्रीवास्तव	निर्माण भवन, नई दिल्ली-1	वित्तीय सलाहकार या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो	सदस्य
4.	श्री. पी. एन. रंजीत कुमार	आयुष भवन, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय	सदस्य
5.	प्रो. एम. एस. भगेल	सी. 101, यूनीक टावर, महलगाँव,निकट प्रताप नगर, सेक्टर -26, जयपुर-302017, मो. 0947207964 ईमेल : baghelavu@rediffmail.com	गैर-सरकारी	सदस्य
6.	प्रो. वी. के. जोशी	अध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग, संकाय आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्था, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, पी.ओ. लंका, वाराणसी-221005 संपर्क सूत्र:	गैर-सरकारी	सदस्य

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

		0542-2307543(ओ) , 0542-2369116 (आर) मो:- 09415336766 ईमेल: joshivkvns@gmail.com		
7.	प्रो. अतुल बाबू वार्षनेय	सह-आचार्य अध्यक्ष, रोग निदान विभाग, ललित हरि सरकारी स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय, पीलीभीत 262001(यू.पी.) मो:- 09412196846 ईमेल:- atul.nidan@gmail.com , atul-panchkarma@yahoo.co.in	गैर-सरकारी	सदस्य
8.	डॉ. एस.एस. साविरकर	प्रो. विभागाध्यक्ष, रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना 14/8-3, सरकारी कॉलोनी, हाजी अली, मुंबई-40034 मो. 09552889700 ईमेल sssavrikar@gmail.com	गैर-सरकारी	सदस्य
9.	वैद्य विनय वेलांकर	आर-22, वरद, सुदर्शन नगर, एमआईडीसी, डोम्बिवाली पूर्व, ठाणे (महाराष्ट्र) पिन-421203 मो:- 09930669379 ईमेल vd.velankar@gmail.com	गैर-सरकारी	सदस्य
10.	डॉ. योगेश बेंडला	फ्लैट सं. 1 एंड 2 श्रीविजिय अपार्टमेंट, नीलकमल सोसाइटी, नियर राजाराम ब्रिज, विट्ठल मंदिर के सम्मुख, कर्वे नगर पुणे- 411052 संपर्क:- 020-25465886 मो.:- 09422304477 ईमेल dr.bendale@gmail.com	गैर-सरकारी	सदस्य

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एर्जेडा मद संख्या 23.21)

11.	डॉ. बी. रवि शंकर	438, प्रथम तल, दत्तागली, 3 स्टेज, नियर जोड़ी बेविना मारा, मैसूर-570023 मो.:- 09483929319	गैर-सरकारी	सदस्य
12.	डॉ. करण वशिष्ठ	पूर्व अध्यक्ष,यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइन्सेस (यूआईपीएस) चंडीगढ़ -160014 मो.:- 09876067171 ईमेल:- kvashisht@hotmail.com	गैर-सरकारी	सदस्य
13.	डॉ. एच.बी. सिंह	मुख्य वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्र एआईएमआईएल फार्मास्युटिकल इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली ए-31, सिगम-1 ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर -201308 (यूपी) संपर्क सूत्र. 0120-2395586 मो.:- 9968254576, 8860689589	गैर-सरकारी	सदस्य
14.	डॉ. अशोक एल. कुकड़	विवेकानंद हॉस्पिटल , विद्या नगर, लातूर, जिला लातूर-413512 ईमेल: vhlatur@gmail.com , vclatur@gmail.com संपर्क:- 9423775897	गैर-सरकारी	सदस्य
15.	प्रो. वैद्य के.एस. धीमान, महानिदेशक सीसीआरएएस	सीसीआरएएस, जनकपुरी, नई दिल्ली-58	महानिदेशक	सदस्य सचिव

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

(ख) कार्यकारिणी समिति

निम्नानुसार केंद्रीय परिषद की कार्यकारिणी समिति होगी:

<u>अध्यक्ष</u>

सचिव, आयुष मंत्रालय

<u>सदस्य</u>

1) वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / आयुष मंत्रालय।
2) संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय।
3) सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय।
4) शासी निकाय के चार गैर-सरकारी विशेषज्ञों के सदस्य, दो आयुर्वेद विज्ञान से तथा दो अन्य विशेषज्ञ कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे।
5) निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान, जयपुर।
6) अध्यक्ष के विवेक पर कोई विशेष आमंत्रित।

<u>सदस्य सचिव</u>

महानिदेशक, सीसीआरएएस

(ग) स्थायी वित्त समिति

परिषद की स्थायी वित्त समिति निम्न प्रकार होगी:

<u>अध्यक्ष</u>

संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय।

<u>सदस्य</u>

1. वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो अवर सचिव के पद से नीचे न हो)
2. सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय।
3. स्थायी वित्त समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी समिति के दो गैर-सरकारी सदस्य।

<u>सदस्य सचिव</u>

महानिदेशक, सीसीआरएएस

8. **ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता**

हम, सभी व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं, ज्ञापन में वर्णित उद्देश्य हेतु स्वयं को संबद्ध करते हैं, हम एततद्वारा ज्ञापन की सदस्यता लेते हैं तथा इसके लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम XXI), जिसे पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957 के द्वारा 30 मार्च को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विस्तारित किया गया है, के तहत खुद को एक सोसायटी बनाते हैं। (केवल एक हजार नौ सौ अट्ठहत्तर)

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

2. आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद के नियम और विनियम

इन नियमों और विनियमों को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नियम कहा जा सकता है।

2. शासी निकाय

क. सदस्यता

1.) केंद्रीय परिषद के शासी निकाय के पहले सदस्य वे होंगे जिनका उल्लेख ज्ञापन के खंड 6 में किया गया है। वे इन नियमों के अनुसार एक नए शासी निकाय की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे। इसके बाद इन नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित किए गए सदस्य, या तो पदेन, कुछ कार्यालयों के धारक या व्यक्तिगत नियुक्तियों या चुनाव द्वारा निम्नलिखित सदस्य शासी निकाय के सदस्य होंगे हैं:

अध्यक्ष

मंत्री, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

सचिव, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली

आधिकारिक सदस्य

1. वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/आयुष मंत्रालय।
2. संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय
3. सलाहकार (आयुर्वेदिक विज्ञान), आयुष मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्य

1. 05 आयुर्वेदिक विज्ञान के विशेषज्ञ जिनमें से 03 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/प्रख्यात शोधकर्ता हों।
2. आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ
3. औषध विज्ञान विशेषज्ञ
4. वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ
5. रसायन विज्ञान विशेषज्ञ

सदस्य सचिव

महानिदेशक, सीसीआरएएस

2.) प्रभारी मंत्री, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष होंगे।

3.) सचिव (आयुष) उपाध्यक्ष होंगे।

4.) केंद्रीय परिषद के महानिदेशक शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति और स्थायी वित्त समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

5.) महानिदेशक शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति और परिषद की स्थायी वित्त समिति के सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगे।

6.) केंद्रीय परिषद शासी निकाय के सदस्यों की एक सूची रखेगी जिसमें उनके पते और व्यवसाय होंगे और प्रत्येक सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेगा।

ख. सदस्यों की नियुक्ति की अवधि

1.) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

i. जब कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण शासी निकाय का सदस्य बन जाता है, इस नियम के उप-नियम (2) में किसी भी बात के होते हुए भी, जब वह उस पद या नियुक्ति को समाप्त कर देता है, तो शासी निकाय की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी|

ii. जब तक उप-नियम (1) और (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार शासी निकाय की उनकी सदस्यता समाप्त नहीं कर दी जाती, तब तक गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल शासी निकाय में उनके नामांकन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा। ऐसे सदस्य अपने तीन साल के कार्यकाल के बाद पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे।

iii. शासी निकाय के सभी गैर-सरकारी सदस्य त्यागपत्र देने, दिमागी रूप से विकृत होने, दिवालिया होने या किसी आपराधिक मामले के लिए दोषी ठहराये जाने, नैतिक अधमता अथवा पद (जिसके आधार पर वह सदस्यता धारण कर रहा था) से हटा देने की स्थिति में सदस्य नहीं रहेंगे ।

iv. सदस्यता का त्यागपत्र हेतु शासी निकाय के अध्यक्ष का पालन किया जाएगा और इसे व्यक्तिगत रूप से शासी निकाय के सदस्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा तथा शासी निकाय की ओर से अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार किए जाने तक प्रभावी नहीं होगा।

v. शासी निकाय की सदस्यता में मृत्यु के कारण या इन उप-नियमों में उल्लिखित किसी भी कारण से कोई रिक्ति उसी तरीके से भरी जाएगी जैसा कि नियम 1 में प्रदान किया गया है।

2.) कोई भी निवर्तमान सदस्य पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा। एक पदेन सदस्य का, कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह व्यक्ति सदस्य है।

3.) अध्यक्ष, शासी निकाय की सदस्यता से पदत्याग, सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा तथा जब तक इसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक यह प्रभावी नहीं होगा।

4.) केंद्रीय परिषद शासी निकाय में किसी भी रिक्ति के बावजूद कार्य करेगी और केंद्रीय परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी रिक्ति या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण अमान्य नहीं होगी।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

ग. शासी निकाय की बैठकें

1.) शासी निकाय की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार होगी। अध्यक्ष शासी निकाय की एक विशेष बैठक भी आयोजित कर सकता है।

2.) अध्यक्ष द्वारा जब भी बैठक आवश्यक समझी जाएगी, अध्यक्ष के निर्देशों पर महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित सूचना द्वारा एक आम बैठक आयोजित की जाएगी। यदि अध्यक्ष को केंद्रीय परिषद के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक सामान्य बैठक बुलाने की मांग प्राप्त होती है, तो अध्यक्ष ऐसी बैठक आयोजित करेंगे ।

3.) अध्यक्ष प्रत्येक आम बैठक की तिथि, स्थान एवं ऐसी बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची तय करेंगे।

4.) शासी निकाय की बैठक के लिए बुलाए जाने वाले प्रत्येक नोटिस में तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में है और रजिस्टर में दिए गए पते पर या के ज्ञात पते पर सूचना शासी निकाय की बैठक के लिए नियत दिन से कम से कम 21 दिन पहले और विशेष बैठक के लिए 10 दिन पहले दी जाएगी । बैठक की सूचना तथा बैठक के समक्ष रखे जाने वाले कार्यसूची सदस्य-सचिव के अधीन होगी । किसी अत्यावश्यक कार्य की स्थिति में अध्यक्ष 10 दिनों के नोटिस पर शासी निकाय की बैठक आयोजित कर सकते हैं।

5.) किसी सदस्य को सूचना देने में आकस्मिक चूक या सूचना न मिलने पर बैठक की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।

6.) शासी निकाय की वार्षिक बैठक में, केंद्रीय परिषद के निम्नलिखित कार्यों पर विचार और अनुमोदन के लिए कार्यकारिणी समिति की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ विचार किया जाएगा:

अ) केंद्रीय परिषद के पिछले वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता एवं बैलेंस शीट।

आ) कार्यकारिणी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित केंद्रीय परिषद की वार्षिक रिपोर्ट।

इ) कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित अगले वर्ष के लिए बजट।

ई) अगले वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना जिसमें भविष्य की योजनाएँ और पूछताछ के प्रस्ताव और अगले वर्ष के लिए या बाद की किसी अवधि के लिए शोध कार्य शामिल हैं

उ) स्थायी समितियों की नियुक्ति।

ऊ) अध्यक्ष की सहमति से अन्य कार्य।

7.) शासी निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित शासी निकाय के एक तिहाई सदस्यों को कोरम का गठन करना होगा। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है, तो स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति नहीं होगी।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

8.) शासी निकाय की बैठकों में सभी विवादित प्रश्नों को मतों द्वारा निर्धारित किया जाएगा और बहुमत की राय मान्य होगी।

9.) शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा।

10.)अध्यक्ष को किसी भी बैठक को समय-समय पर स्थगित करने का अधिकार होगा।

11.)बैठक के दौरान, किसी सदस्य द्वारा उठाए गए आदेश के मुद्दे पर अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12.)अध्यक्ष शासी निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर शासी निकाय की एक विशेष बैठक आयोजित करेंगे।

13.)शासी निकाय के सदस्यों द्वारा इस प्रकार की गई कोई भी मांग, बुलाए जाने के लिए प्रस्तावित बैठक के उद्देश्य को व्यक्त करेगी और सदस्य सचिव के पते पर छोड़ दी जाएगी या उनके पते पर पोस्ट की जाएगी।

14.)विशेष शासी निकाय की बैठक में, मांग के नोटिस में बताए गए विषयों के अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए।

15.)शासी निकाय की सभी बैठकें सदस्य सचिव या इस संबंध में अधिकृत किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर के तहत सूचना द्वारा बुलाई जाएंगी।

16.)कोई भी सदस्य जो शासी निकाय की बैठक में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है, वह सदस्य-सचिव को लिखित रूप में ऐसी बैठक से कम से कम दस दिन पहले नोटिस देगा।

17.)शासी निकाय के लिए कोई भी आवश्यक मामला, जिसे उसकी वार्षिक बैठक से पहले रखा जा सकता है, उसके सभी सदस्यों द्वारा विचार किया जा सकता है | हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रकार परिचालित और अनुमोदित संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा जैसे कि ऐसा प्रस्ताव शासी निकाय की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्ते कि शासी निकाय के कम से कम एक तिहाई सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार दर्ज किए हों। बशर्ते कि किसी अत्यावश्यक मामले की स्थिति में परिषद के अध्यक्ष शासी निकाय की ओर से निर्णय ले सकते हैं। इस तरह के निर्णय की सूचना शासी निकाय को उसकी अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए दी जाएगी |

18.)अध्यक्ष प्रत्येक शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य का चयन करेंगे।

19.)महानिदेशक शासी निकाय के सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें सभी सदस्यों के नाम होंगे।

घ. शासी निकाय की शक्तियां

1) शासी निकाय के पास केंद्रीय परिषद के मामलों का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा केंद्रीय परिषद के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप केंद्रीय परिषद की सभी शक्तियों, कृत्यों और कार्यों का प्रयोग और प्रदर्शन करने का अधिकार होता है।
2) विदेश सेवा पर सरकारी सेवकों को वेतन और भत्तों और रियायतों के मामले को छोड़कर, शासी निकाय को केंद्रीय परिषद की निधि से व्यय के मामले में पूर्ण अधिकार होंगे।
3) शासी निकाय के पास ऐसे उप-नियम बनाने की पूरी शक्ति होगी जो वे केंद्रीय परिषद के मामलों के नियमन के लिए और विशेष रूप से लेखा रखने, बजट अनुमानों की तैयारी और स्वीकृति के संदर्भ में आवश्यक समझेंगे। व्यय की मंजूरी, अनुबंध करना, केंद्रीय परिषद की निधियों का नियंत्रण और निवेश और ऐसे निवेश की बिक्री या परिवर्तन और कोई अन्य उद्देश्य जो आवश्यक हो सकता है।
4) शासी निकाय किसी भी विन्यास या न्यास या किसी सदस्यता या दान, उपहार के प्रबंधन और प्रशासन को समामेलित, समन्वय, अधिग्रहण या स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि वह किसी भी शर्त से असंगत हो या उन उद्देश्यों के साथ संघर्ष में हो जिसके लिए केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई है।
5) शासी निकाय अपने द्वारा गठित समितियों और विभिन्न विषयों के तहत स्थापित संघटक इकाइयों की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और केंद्रीय परिषद की संबंधित समितियों और घटक इकाइयों को उचित नीति निर्देश देगा।
6) शासी निकाय को इसकी स्थापना और पंजीकरण के लिए प्रारंभिक और आकस्मिक शुल्क और व्यय का भुगतान करने का अधिकार होगा।
7) शासी निकाय को किसी भी संपत्ति को उचित कीमत पर तथा समान्यतः उचित नियमों और शर्तों पर खरीदने या अन्यथा हासिल करने की पूरी शक्ति होगी।
8) शासी निकाय के पास केंद्रीय परिषद द्वारा या उसके खिलाफ या अन्यथा केंद्रीय परिषद के मामलों से संबंधित किसी भी स्तर की कार्यवाही को संचालित करने, बचाव करने, समझौता करने या छोड़ने की पूरी शक्ति होगी।
9) शासी निकाय के पास केंद्रीय परिषद की निधियों और धन को उचित प्रतिभूतियों पर तथा उचित रूप से निवेश एवं सौदा करने तथा समय-समय पर इस तरह के निवेश बदलने तथा जारी करने की शक्ति होगी|

10) शासी निकाय के पास ऐसी सभी वार्ताओं और अनुबंधों बनाना तथा ऐसे सभी अनुबंधों को रद्द करने तथा उनमें परिवर्तन करने एवं निष्पादित करने तथा ऐसे सभी कार्य को निष्पादित करने की शक्ति होगी, जैसा कि उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में या उसके संबंध में समीचीन या अन्यथा केंद्रीय परिषद के प्रयोजनों के लिए हो सकता है।
11) यदि शासी निकाय उचित समझता है तो वह संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति, स्थायी वित्त समिति और केंद्रीय परिषद के महानिदेशक को शासी निकाय के रूप में कार्य के संचालन के लिए अपनी शक्तियों को सौंप सकता है।
12) शासी निकाय को आवश्यकतानुसार प्रतिभूति के साथ या उसके बिना धन जुटाने और केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से अपनी संपत्तियों को गिरवी रखने और आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए अधिकार दिया जाएगा।
13) शासी निकाय अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संकल्प द्वारा सभी स्थायी या तदर्थ समितियों को, जिसमें कार्यकारिणी समिति और स्थायी वित्त समिति शामिल है, जिसमें शासी निकाय के सदस्य या अन्य विशेषज्ञ शामिल है (जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं) को नियुक्त कर सकता है ।
14) परिलब्धियों की संरचना अर्थात वेतनमानों, भत्तों को अपनाने और पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
15) शासी निकाय के पास कार्यकारिणी समिति, स्थायी वित्त समिति और केंद्रीय परिषद के महानिदेशक के कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए, केंद्रीय परिषद के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए उप-नियमों को बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने की पूर्ण शक्तियां होंगी|

ङ) अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य

1) अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों तथा इन नियमों और विनियमों और केंद्रीय परिषद के उप-नियमों में निर्धारित शक्तियों तथा कार्यों का निर्वहन करेगा |
2) इन नियमों में कुछ भी अध्यक्ष को केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए शासी निकाय की किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा और ऐसे अवसरों पर अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना बाद में शासी निकाय को अनुसमर्थन के लिए दी जाएगी|

2. <u>कार्यकारिणी समिति</u>

क. सदस्यता: परिषद की कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार होगी:

<u>अध्यक्ष</u>

सचिव, आयुष मंत्रालय

<u>आधिकारिक सदस्य</u>

1) वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / आयुष मंत्रालय।

2) संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय।

3) सलाहकार (आयु), आयुष मंत्रालय।

<u>गैर-सरकारी सदस्य</u>

1) शासी निकाय के चार गैर-सरकारी विशेषज्ञों के सदस्य, दो आयुर्वेदिक विज्ञान से और दो अन्य विशेषज्ञ, जिन्हें कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।
2) निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।
3) अध्यक्ष के विवेक पर कोई विशेष आमंत्रित।

<u>सदस्य सचिव</u>

महानिदेशक, सीसीआरएएस

ख. <u>सदस्यों की नियुक्ति की अवधि</u>

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

1) कार्यकारिणी समिति के लिए नामांकन अध्यक्ष यानी सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
2) केन्द्रीय परिषद् कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की एक सूची बनाएगी जिसमें उनका पता, व्यवसाय होगा और प्रत्येक सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेगा।
3) (i) उप-नियम (iii) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी जब भी कोई व्यक्ति किसी पद या पदेन द्वारा आयोजित नियुक्ति के आधार पर कार्यकारिणी समिति की सदस्यता धारण करता है, तो उस पद या नियुक्ति को समाप्त होने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तथा इस प्रकार हुई रिक्ति को उस कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।

(ii) जब तक उप-नियम (iii) के अनुसार कार्यकारिणी समिति की उसकी सदस्यता पहले समाप्त नहीं कर दी जाती है, कार्यकारिणी समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य का कार्यकाल नामांकन की तारीख से तीन साल का होगा, सिवाय इसके कि जब किसी व्यक्ति को उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। एक निवर्तमान सदस्य पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा।

(iii) कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि (ए) वह त्यागपत्र दे देता है, दिमाग विकृत हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक

मामलों में दोषी ठहराया जाता है (बी) उसका नियोक्ता इनकार करता है उसे कार्यकारिणी समिति में सेवा करने की अनुमति दें, (सी) वह एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए विदेश जाता है, (डी) वह कार्यकारिणी समिति की लगातार तीन बैठकों में शामिल नहीं होता है या (ई) कार्यकारिणी समिति द्वारा बहुमत का मत है कि किसी सदस्य ने केंद्रीय परिषद के हितों के विरुद्ध कार्य किया है या कार्य कर रहा है।

(iv) अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति को संबोधित सदस्यता का त्यागपत्र सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा और जब तक अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक यह प्रभावी नहीं होगा।

(v) कार्यकारिणी समिति की सदस्यता में किसी भी रिक्ति को नियमों में प्रावधानित तरीके से भरा जाएगा और ऐसा सदस्य निवर्तमान सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए कार्यकारिणी समिति में कार्य करेगा।

मृत्यु के कारण या इन उप-नियमों में उल्लिखित किसी भी कारण से शासी निकाय की सदस्यता में किसी भी रिक्ति को नियम 1 में प्रदान किए गए तरीके से भरा जाएगा।

4) कोई भी निवर्तमान सदस्य पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा। एक पदेन सदस्य के लिए, कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक वह व्यक्ति उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।
5) केंद्रीय परिषद कार्यकारिणी समिति में किसी भी रिक्ति के बावजूद कार्य करेगी और केंद्रीय परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी रिक्ति या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण अमान्य नहीं होगी।

ग. <u>कार्यकारिणी समिति के कार्य</u>

1) केंद्रीय परिषद के मामलों का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा और इसकी वार्षिक बैठकों में शासी निकाय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
2) कार्यकारिणी समिति ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो समय-समय पर शासी निकाय द्वारा उप-नियमों, नियमों और विनियमों, प्रस्तावों या अन्यथा में निर्धारित की जा सकती हैं। कार्यकारिणी समिति आम तौर पर सीसीआरएएस के सभी मामलों की निगरानी करेगी और आपात स्थिति के मामलों में शासी निकाय की किसी भी शक्ति का कर्तव्य निभा सकती है और बाद की सामान्य शक्तियों के पूर्वाग्रह के बिना प्रयोग कर सकती है, शासी निकाय की अगली बैठक में ऐसे आपातकालीन प्राधिकरण के प्रयोग में सभी कार्यवाही की सूचना दी जाएगी |

घ. <u>कार्यकारिणी समिति की शक्तियां</u>

1) ज्ञापन में निर्धारित शक्तियों के अनुसार, केंद्रीय परिषद के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप, कार्यकारिणी समिति का परिषद के मामलों पर सामान्य नियंत्रण होगा और उसके पास केंद्रीय परिषद और उसकी शाखाओं की योजना, स्थापना और संचालन के लिए सभी शक्तियों, कृत्यों और कार्यों का अधिकार होगा, चाहे वे भारत के भीतर हों या बाहर है ।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

2) कार्यकारिणी समिति के पास परिषद् के कार्य के नियमन के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में पूर्ण शक्तियां होंगी:-

i) खातों का रखरखाव;

ii) बजट अनुमानों की तैयारी और स्वीकृति;

iii) व्यय की स्वीकृति;

iv) अनुबंधों में संबद्ध होना;

v) केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुरूप कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण;

vi) इस मामले में भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देशों, दिशानिर्देशों आदि जिनका अनुपालन किया जाता है से संबंधित पदों के सृजन और समाप्ति के लिए संस्तुति करना ;

vii) कोई अन्य आवश्यक उद्देश्य।

कार्यकारिणी समिति संकल्प द्वारा किसी भी समिति, अध्यक्ष, महानिदेशक और केन्द्रीय परिषद के आवश्यक अधिकारियों को, उचित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकती हैं।

3) कार्यकारिणी समिति के पास केंद्रीय परिषद द्वारा या उसके विरुद्ध या अन्यथा केंद्रीय परिषद के मामलों से संबंधित किसी भी स्तर की कार्यवाही शुरू करने, संचालन, बचाव,समझौता या त्याग करने की पूर्ण शक्तियां होंगी।

4) कार्यकारिणी समिति स्वयं द्वारा निर्दिष्ट शक्तियों एवं उक्त उद्देश्यों के लिए, समितियों या उप-समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

5) कार्यकारिणी समिति ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकती हैं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

6) केंद्रीय परिषद के लिए किसी भी संपत्ति को उचित कीमत पर तथा पर ऐसे नियमों और शर्तों पर खरीदना या अन्यथा हासिल करना ।

7) केंद्रीय परिषद की निधियों और धन को उचित रूप से निवेश एवं सौदा करना तथा समय-समय पर इस तरह के निवेश बदलना तथा जारी करना| इस मामले में भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देशों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया जाता है।

8) ऐसी सभी वार्ताओं और अनुबंधों बनाना तथा ऐसे सभी अनुबंधों को रद्द करना तथा उनमें परिवर्तन एवं निष्पादित करना तथा ऐसे सभी कार्य को निष्पादित करना, जैसा कि उपरोक्त किसी भी मामले के संबंध में या उसके संबंध में समीचीन या अन्यथा केंद्रीय परिषद के प्रयोजनों के लिए हो सकता है।

9) सरकार को प्रस्तुत करने से पहले नई योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देना।

10) केन्द्रीय परिषद् के वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासन एवं वित्त/अन्य संवर्गों के संबंध में भर्ती नियम बनाने/संशोधित करने के सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

11) सरकार को प्रस्तुत करने से पहले केंद्रीय परिषद की विभिन्न योजनाओं पर विचार करना।

12) "पदोन्नति" की भर्ती के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए अर्हक सेवा में 50% की छूट प्रदान करना।

ङ. <u>कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य</u>

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

1) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जिसे इन नियमों और विनियमों और केंद्रीय परिषद के उप-नियमों और कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्यायोजित किया जा सकता है।
2) इन नियमों की कोई भी बात अध्यक्ष को केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारिणी समिति की किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी और ऐसे अवसरों पर अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना बाद में अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति को दी जाएगी।

च. कार्यकारिणी समिति की बैठकें

1) आवश्यकता होने पर, केन्द्रीय परिषद के कार्य के संचालन के लिए, अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठक कई बार की जा सकती है। लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी। अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तिथि, समय और स्थान और बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची का निर्णय करेगा।
2) अध्यक्ष के निर्णयानुसार कार्यकारिणी समिति की कोई भी असाधारण बैठक वर्ष के दौरान किसी भी समय आयोजित की जा सकती है।
3) कार्यकारिणी समिति की एक असाधारण बैठक कार्यकारिणी समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा बैठक के उद्देश्य को इंगित करने वाली लिखित मांग पर बुलाई जा सकती है और इस तरह की मांग प्राप्त होने पर सदस्य सचिव आवश्यकतानुसार तथा उप नियम-4 के नीचे उल्लिखित नोटिस देकर अध्यक्ष द्वारा तय समय व स्थान पर बैठक बुलाएगा । ऐसी बैठक में, अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से अधिकृत विषयों तथा मांगपत्र में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी।
4) कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाए जाने वाले प्रत्येक नोटिस में वह तिथि, समय और स्थान बताया जाएगा और कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को साधारण बैठक के मामले में कम से कम 14 दिनों पहले तथा असाधारण बैठक के मामले में 7 दिनों से पहले सूचना दी जाएगी । बैठक की सूचना के साथ कार्यसूची भी भेजी जाएगी और जहां यह संभव हो,कार्यसूची सामान्य बैठक से कम से कम 7 दिन पहले और असाधारण बैठक से 5 दिन पहले भेजा जाएगा। हालाँकि, किसी सदस्य द्वारा नोटिस देने में आकस्मिक चूक या नोटिस की गैर-प्राप्ति, बैठक की कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगी।
5) अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक को चुनेंगे।
6) कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों की गणपूर्ति होगी। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है, तो स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति नहीं होगी।
7) कार्यकारिणी समिति की बैठकों में सभी विवादित प्रश्नों पर एक मत होगा और मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

8) कोई भी सदस्य जो कार्यकारिणी समिति की किसी साधारण बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हैं, उसकी लिखित सूचना सदस्य सचिव को ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले देगा।
9) कोई भी कार्य जो कार्यकारिणी समिति के लिए आवश्यक हो सकता है, उसके सभी सदस्यों के बीच लिखित रूप में परिचालित एक संकल्प के माध्यम से अनुमोदित किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को एक बैठक में मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया जा सकता है। कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित संकल्प के समान ही कार्यकारिणी समिति प्रभावी एवं बाध्यकारी होगी।
10) अध्यक्ष को किसी भी बैठक को समय-समय पर स्थगित करने का अधिकार होगा।
11) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए आदेश के मुद्दे पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12) कार्यकारिणी समिति की बैठकों की सभी कार्यवाही की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए सदस्य सचिव द्वारा रखी जाने वाली कार्यवृत्त पुस्तिका में की जाएगी।

3. <u>स्थायी वित्त समिति की शक्तियां</u>

निम्नलिखित मामलों की स्थायी वित्त समिति को भेजा जाएगा जो उन पर विचार करेगी और कार्यकारिणी समिति को अपनी सिफारिश देगी, अर्थात्: -

क) केंद्रीय परिषद की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाले वार्षिक लेखे और उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट;
ख) केंद्रीय परिषद की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाले बजट अनुमान;
ग) पदों के सृजन/उन्मूलन के सभी प्रस्ताव;
घ) केंद्रीय परिषद से संबंधित सभी वित्तीय मामले, जिसमें नए प्रस्ताव, निधियों का पुनर्विनियोजन आदि शामिल हैं, जो महानिदेशक की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हैं;
ङ) परिषद के संचालन निदेशक की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे निविदाओं के आमंत्रण और स्वीकृति से संबंधित सभी मामले।
च) परिषद के मामलों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य वित्तीय मामले पर कार्यकारिणी समिति को सलाह देना और सिफारिश करना।

नोट: वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों को केंद्रीय परिषद पर लागू माना जाएगा।

4. महानिदेशक की शक्तियाँ और कार्य

महानिदेशक केन्द्रीय परिषद के मुख्य कार्यकारी होंगे और केन्द्रीय परिषद के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की नीतियों, योजना और निष्पादन के समन्वय के लिए उत्तरदायी होंगे। पूर्वगामी प्रावधानों की सामान्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महानिदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे जो उप-नियमों की अनुसूची I में निर्दिष्ट हैं और साथ ही नीचे दिये गए हैं:

1. वह ऐसे सभी कार्य करेंगें जो केंद्रीय परिषद के सामान्य वर्तमान प्रशासनिक और व्यावसायिक कर्तव्यों और मामलों के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।
2. वह केंद्रीय परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्यों का आवंटन करेगा और नियमों और विनियमों के अधीन आवश्यक पर्यवेक्षण और कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करेगा।
3. सभी पत्राचार उसके हस्ताक्षर या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी (अधिकारी) के अधीन होंगे।
4. वह शासी निकाय/कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त सभी समितियों का सदस्य (पदेन) भी होगा और अपने विवेक से ऐसी समितियों की सभी या किसी बैठक में भाग लेगा।
5. वह ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो शासी निकाय या राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।
6. **महानिदेशक शासी निकाय की ओर से उन सभी समझौतों, अनुबंधों आदि पर हस्ताक्षर करेगा और उनका निष्पादन करेगा जो परिषद के व्यवसाय के उचित संचालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। रुपये 5,00,000/- (पांच लाख) से अधिक वाले सभी अनुबंधों के ड्राफ्टों की उनके फॉर्म की यथार्थता के बारे में सलाह देने के लिए सॉलिसिटर, भारत सरकार या कानून मंत्रालय में ऐसे मामले से निपटने वाले अन्य अधिकारी की प्रस्तुत किया जाएगा।**
7. वह केंद्रीय परिषद की ओर से वादों, लिखित दस्तावेजों, बयानों, हलफनामों, याचिकाओं और सारणीबद्ध बयानों पर हस्ताक्षर करेगा और उनका सत्यापन करेगा तथा मुकदमा, कार्रवाई और अन्य कानूनी कार्यवाही करेगा।
8. सक्षम कानूनी सलाह लेने के बाद उसके पास केंद्रीय परिषद से संबंधित किसी भी विवाद से समझौता करने, निपटाने या मध्यस्थता का संदर्भ देने की शक्ति होगी।
9. महानिदेशक, इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि वह उचित समझे, कार्यालय के प्रमुख/ उप निदेशक (प्रशासन) / लेखा अधिकारी / आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के रूप में घोषित एक अधिकारी को कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जो शक्तियां उन्हें उप-नियमों की अनुसूची II और III में इंगित सीमा के तहत प्रदान की गई हैं।
10. महानिदेशक इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं जिन्हें वे परियोजनाओं के प्रमुखों को उप-नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करना उचित समझें।

11. आहरण एवं संवितरण अधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत समूह 'क' या 'ख' के किसी अन्य अधिकारी को उनकी ओर से प्रत्येक मामले में अधिकतम 2500/- रुपए तक का विविध या आकस्मिक प्रकृति का व्यय करने की स्वीकृति देने की शक्ति होगी।

12. वह किसी भी दान को नकद या वस्तु के रूप में स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि वह किसी भी प्रकार से असंगत हो या उन प्रकृति और उद्देश्यों के साथ असंगत हो, जिसके लिए केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई है। इस प्रकार प्राप्त दान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है और मामले को कार्यकारी समिति की अगली बैठक में सूचित किया जा सकता है।

13. वह ऐसी प्रशासनिक और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो अनुशासन और आचरण नियमों के अध्यधीन हो, और केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।

14. वह सरकार और अन्य व्यक्तियों/प्राधिकारियों आदि से केंद्रीय परिषद को देय सभी अनुदान या अन्य धन की वसूली करेगा और प्राप्त करेगा।

15. उसके पास स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट की सीमा के भीतर व्यय करने की शक्ति होगी, जो कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन होगी।

16. आकस्मिक परिस्थितियों में, महानिदेशक, इन नियमों के अधीन, जैसा वह आवश्यक समझे, कार्रवाई करेंगे। इस उपबंध के तहत की गई कार्रवाई को कार्यकारी समिति की अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए सूचित किया जाएगा।

5. **<u>परिषद की निधि</u>**

परिषद की निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया सभी धन/सहायता अनुदान;
2. परिषद द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभार;
3. परिषद द्वारा अनुदान, उपहार, दान, स्थानान्तरण, उपकार, वसीयत आदि के रूप में प्राप्त सभी धन;
4. परिषद द्वारा किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

6. **<u>वार्षिक रिपोर्ट और लेखों तथा लेखा परीक्षा का वार्षिक विवरण</u>**

1. कार्यकारी समिति की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ केंद्रीय परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों का मसौदा, विचार और अनुमोदन के लिए अपनी वार्षिक बैठक में शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा। शासी निकाय द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट और खातों के लेखा परीक्षित विवरण की एक प्रति विधिवत रूप से मुद्रित की जाएगी और भारत सरकार को छह महीने के भीतर अग्रेषित की जाएगी जिसे संगत लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के समक्ष रखा जाएगा।

2) क) केंद्रीय परिषद अपने मामलों के संबंध में अपने सभी धन और संपत्तियों का नियमित लेखा-जोखा रखेगी।

ख) भारत सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा केन्द्रीय परिषद के खातों की वार्षिक लेखा-परीक्षा की जाएगी और ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में किया गया| कोई भी व्यय को केन्द्रीय परिषद द्वारा लेखापरीक्षकों को देय होगा।

ग) केन्द्रीय परिषद के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में केंद्र सरकारद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के पास वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशेष रूप से उनके पास बहियों, खातों, संबंधितवाउचर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों और कागजात की मांग करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

घ) लेखापरीक्षक द्वारा ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्टकेन्द्रीय परिषद को संप्रेषित की जाएगी जो लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति अपनी टिप्पणियों के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी। लेखापरीक्षक रिपोर्ट की एक प्रति भारत सरकार को भी अग्रेषित करेगा।

7. **<u>बैंकर</u>**

परिषद के बैंकर भारतीय स्टेट बैंक या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे। सभी निधियों का भुगतान नियुक्त बैंकों के साथ केंद्रीय परिषद के खातों में किया जाएगा और केंद्रीय परिषद के महानिदेशक द्वारा या केंद्रीय परिषद के दो अधिकारियों जिन्हें केंद्रीय परिषद के महानिदेशक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किया जा सकता है द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चेक, बिल, नोट या अन्य परक्राम्यलिखतों को आहरण नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय परिषद की अधीनस्थ इकाइयों को भी महानिदेशक द्वारा अपने विवेक से भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर बचत बैंक में बैंक खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है। खातों का संचालन प्रभारी अधिकारी/परियोजना अधिकारीया जैसा कि किसी विशेष मामले में महानिदेशक द्वारा तय किया जाए, द्वारा किया जाएगा।

8. **<u>प्रकीर्ण उपबंध</u>**

1) नियमों और विनियमों के प्रयोजनों के लिए, एक वर्ष को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले बारह महीनों के रूप में लिया जाएगा।

2) भारत सरकार के पास निर्धारित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जो उचित समझे।

3) सीसीआरएएस के मौजूदा कर्मचारियों को इन नियमों के तहत उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर परिषद का कर्मचारी माना जाएगा।

4) केंद्रीय परिषद के किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से ऐसे सदस्यों को संबोधित एक लिफाफे में सदस्यता नामावली में दर्ज पते पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजकर एक नोटिस भेजा जा सकता है।

5) महानिदेशक के कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए उप-नियम बनाने की शक्ति कार्यकारी समिति में निहित होगी जो अपने विवेक पर समय-समय पर ऐसे किसी भी उप-नियम में संशोधन और परिवर्तन करने का हकदार होगी।

6) केंद्रीय परिषद, शासी निकाय और कार्यकारी समिति इस बात के होते हुए भी कार्य करेगी कि किसी व्यक्ति को शासी निकाय / कार्यकारी समिति या उक्त निकायों में अन्य रिक्ति के कारण किसी भी कारण से नामित करने का कोई अधिकार नहीं है|उपरोक्त किसी भी घटना के घटित होने या किन्हीं सदस्यों की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण ही ऐसी परिषद/निकाय के किसी कृत्य या कार्यवाही को अमान्य कर दिया जाएगा।

7) भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उद्देश्यों और प्रयोजनों जिनके लिए केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई है या किसी अन्य एसोसिएशन या सोसायटी के साथ केंद्रीय परिषद को समामेलित करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा, जैसा कि 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI की धारा 12 में विचार किया गया है।

8) प्रत्येक वर्ष में एक बार संस्था की वार्षिक बैठक पर या उससे पहले, शासी निकाय के सदस्यों के नाम, पते और व्यवसायों की एक सूची सोसायटी के रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी।

9) शासी निकाय के कम से कम तीन-पांचवें सदस्य यह निर्धारित कर सकते है कि इसे भंग कर दिया जाए या उस समय पर सहमति व्यक्त की जाए और केंद्रीय परिषद की संपत्ति के निपटान और समझौते, इसके दावों और देनदारियों के लिए लागू केंद्रीय परिषद के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगेऔर यदि नहीं, तो शासी निकाय उपाय खोजेगा बशर्ते कि उक्त शासी निकाय के बीच किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में, इसे केंद्र सरकार कोसंदर्भित किया जाएगा और केंद्र सरकार मामले में ऐसा आदेश देगी जो वह अपेक्षित समझे।

10) बशर्ते कि केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सोसायटी को भंग नहीं किया जाएगा।

11) इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी के विघटन पर उसके सभी ऋणों और देनदारियों की संतुष्टि के बाद कोई भी संपत्ति बनी रहेगी जो उक्त शासी निकाय के सदस्यों या उनमें से किसी को भी भुगतान या वितरित नहीं की जाएगी, बल्कि उसे केंद्र सरकार को ऐसे उद्देश्यों के लिए जो वे उचित समझे के लिए वापस किया जाएगा|

12) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सोसायटी का सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें भर्ती किया गया हो, जिसने उसके सदस्यों की सूची या सूची पर हस्ताक्षर किए होंगे और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार त्यागपत्र नहीं दिया होगा।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

13) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम XXI 1860) के सभी उपबंध इस सोसायटी पर लागू होंगे।

3. उप-नियम

बजट अनुमानों की तैयारी और स्वीकृति

1. महानिदेशक प्रत्येक वर्ष शासी निकाय की वार्षिक बैठक से पहले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय और केंद्रीय परिषद के प्रत्याशित अथशेष और इतिशेष के विस्तृत अनुमान तैयार करेंगे।

2. किसी भी योजना के बजट अनुमान में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया जा सकता है जिसे कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित नहीं किया गया हो।

3. यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी योजना को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसे उस वर्ष के अनुमानों में शामिल नहीं किया गया है, तो उसके वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित पद्धति के लिए कार्यकारी समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी चाहे वह अनुपूरक अनुदान के माध्यम से, शेष राशि से या स्वीकृत अनुमानों के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा हो। महानिदेशक अपने कार्यालय में एक बजट रजिस्टर रखेगा जिसमें वह भारत सरकार से प्राप्त अनुदान और अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी धन को दर्ज करेगा और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विशिष्ट शीर्षों पर व्यय के लिए आवंटित सभी राशि दिखाएगा। महानिदेशक वार्षिक शेष के सही होने के संबंध में लेखापरीक्षक को एक वार्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

4.महानिदेशकस्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. अंतिम रूप से स्वीकृत अनुमानों की एक प्रति लेखापरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमानों में सभी भिन्नताओं को इसी प्रकार सूचित किया जाएगा।

6. केन्द्रीय परिषद की निधि से वित्तपोषित की जाने वाली प्रस्तावित सभी योजनाओं के लिए स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन आवश्यक है।

7. केंद्रीय परिषद के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए किसी अनुमोदित योजना या नए आकस्मिक व्यय के लिए अतिरिक्त अनुदान निम्नलिखित वित्तीय सीमाओं तक स्वीकृत किया जा सकता है:

अध्यक्ष, कार्यकारी समिति - 10,00,000/- रुपए
अध्यक्ष, एसएफसी - 5,00,000/-रूपए
महानिदेशक - 2,00,000/- रुपए

विनियोग

8. केन्द्रीय परिषद की निधियों को किसी भी मद पर व्यय के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगाजिसे इन उप-नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

9. विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ सामान्यतया'योजना' या 'अनुसूची' होंगी और उनके अधीनस्थगौण इकाइयाँ जैसे 'वेतन', 'भत्ते', 'आकस्मिकताएँ' आदि खोली जा रही हैं, जैसा कि आवश्यक हो।

<u>पुनर्विनियोजन</u>

10. महानिदेशक के पास विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी या विनियोग की एक गौण इकाई से दूसरी प्राथमिक इकाई में निधियों को पुनर्विनियोजित करने की शक्ति होगी।

11. महानिदेशक कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत अनुदानों के प्रति व्यय पर नजर रखेंगे और ऐसे मामलों में जहां व्यय अधिक हो गया हैं या स्वीकृत अनुदान से अधिक होने की संभावना है, अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे या विनियोग की अन्य इकाइयों के तहत प्रत्याशित बचत सेपुनर्विनियोजनकरेंगें|

12. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना केन्द्रीय परिषद की निधि से कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

13. व्यय की स्वीकृति तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि इन उप-नियमों के तहत इसे कवर करने के लिए धन का विनियोग नहीं किया गया हो।

<u>निवेश</u>

14. परिषद के जी.पी. फंड नियमों के तहत निवेश की जा सकने वाली निधियों सहित केंद्रीय परिषद की निधियों का निवेश केवल निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है: -

क) किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार के प्रॉमिसरीनोट्स, डिबेंचर, स्टॉक, ट्रेजरी डिपॉजिट सर्टिफिकेट या अन्य सिक्योरिटीज में।

ख) भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक विशिष्ट अवधि के लिए सावधि जमा में, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत निवेश की अधिकतम दर अर्जित की जा सके।

ग) ऐसी अन्य रीति से जैसा कि स्थायी वित्त समिति प्राधिकृत करे।

15. केन्द्रीय परिषद् की निधियों का समस्त निवेश केन्द्रीय परिषद् के नाम से किया जायेगा। ऐसे निवेशों की सभी खरीद, बिक्री या परिवर्तन प्रभावी होंगे और केंद्रीय परिषद के निवेशों को खरीदने, बेचने या बदलने के लिए आवश्यक सभी अनुबंध, हस्तांतरण विलेख या अन्य दस्तावेज कार्यकारी समिति की ओर से महानिदेशक द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। प्राप्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा महानिदेशक के व्यक्तिगत प्रभार में रहेगी और छह महीने में एक बार प्रतिभूति के रजिस्टर के साथ सत्यापित की जाएगी और सत्यापन का एक प्रमाण पत्र महानिदेशक द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

16. महानिदेशक, केंद्रीय परिषद द्वारा धारित प्रतिभूतियोंका एक रजिस्टर बना कर रखेंगे जिसमें प्रतिभूतियों को प्रभावित करने वाले किसी भी लेनदेन को दर्ज किया जाएगा।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

<u>निधियों का आहरण</u>

17. नियमों और विनियमों की धारा 7 (बैंकर्स) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बैंक से निधियां निकाली जाएंगी। चेक बुक महानिदेशक या उनकी ओर से प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी।

18. केन्द्रीय परिषद के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारी समस्त नये प्रभारों तथा निधियों की किसी भी मांग को केन्द्रीय परिषद के महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे। अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों तथा यात्रा भत्तों तथा आकस्मिक बिलों के दावों को निर्धारित प्रपत्रों में आहरित कर भुगतान के लिए महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा। सभी बिलों की जांच लेखा अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जिन्हें महानिदेशक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, द्वारा की जाएगी और उन्हें भुगतान के लिए पारित किया जाएगा। आकस्मिक और यात्रा भत्ता बिलों को भुगतान के लिए लेखा अधिकारी/आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा पारित किए जाने से पहले, महानिदेशक या उनकी ओर से महानिदेशक द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। मासिक वेतन और भत्ता बिल सीधे लेखा अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्राप्त कियेजाएंगें और उसके द्वारा पारित कियेजाएंगें। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

<u>लेखा</u>

19. केंद्रीय परिषद के महानिदेशक खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उपयुक्त तरीके से रख-रखावकरेंगें और वर्ष के अंत के लिए वार्षिक आय और व्यय खाते और केंद्रीय परिषद के 31 मार्च कातुलन पत्र ऐसे रूप में तैयार करेंगे जो शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया गया हो और निकाय और लेखा परीक्षकों को स्वीकार्य हो।शासीनिदेशकको एक लेखा अधिकारी/आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जो केंद्रीय परिषद के खातों की सटीकता और पूर्णता के लिए शासी निदेशक को सलाह देगा।

20. केंद्रीय परिषद के प्राथमिक खातों का रखरखाव निम्नलिखित रूप में किया जाएगा:

फॉर्म1 - कैश बुक
फॉर्म2 - प्रतिभूतियों का रजिस्टर
फॉर्म3 - रसीद बुक
फॉर्म4 - चेक बुक के स्टॉक का रजिस्टर
प्रपत्र5 - रसीद पुस्तकों के स्टॉक का रजिस्टर
फॉर्म6 - गैर-व्यय योग्य समान के स्टॉक का रजिस्टर
फॉर्म7 - छुट्टी और पेंशन संबंधी योगदान का रजिस्टर।
फॉर्म8 - अग्रिम, स्थायी और अस्थायी का रजिस्टर
फॉर्म9 - वार्षिक लेखा।

21. केंद्रीय परिषद के लेखा परीक्षक के कार्यों का प्रयोग भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

22. लेखा अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी केंद्रीय परिषद की निधि से सभी भुगतानों के लिए पूर्व-लेखापरीक्षा की प्रकृति की जांच लागू करेगा और निम्नलिखित रूपों में रजिस्टर का रखरखाव करेगा:

फॉर्म10 स्थापना लेखा परीक्षा रजिस्टर।
फॉर्म11केन्द्रीय परिषद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते का रजिस्टर
जिन्हें भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के समान माना जाता है
फॉर्म12 यात्रा भत्ता रजिस्टर।
फॉर्म13 आकस्मिक रजिस्टर
प्रपत्र14 विशेष प्रभारों का रजिस्टर
फॉर्म15 अनियमित भुगतान से संबंधित आपत्ति पुस्तिका।
फॉर्म16समायोजन रजिस्टर।
फॉर्म17 वित्तीय आदेश,प्रत्यायोजन आदि का रजिस्टर।

23. यदि केन्द्रीय परिषद की निधियों से व्यय किसी अधिकारी की लेखापरीक्षा के अंतर्गत किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को अनुदान के रूप में होता है, तो लेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि सहायता अनुदान का उद्देश्य संगम ज्ञापन में निर्धारित केंद्रीय परिषद के उद्देश्यों के दायरे में है और अनुदान से व्यय के उस लेखा परीक्षा अधिकारी के लेखा परीक्षा का प्रमाण पत्र मांगेगा और स्वीकार करेगा। शासीनिदेशकलेखापरीक्षा के ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा।
24. केंद्रीय परिषद के खातों को प्रभावित करने वाले नियमों और विनियमों या इन उप-नियमों के तहत सक्षम अधिकारियों की सभी स्वीकृतियों, आदेशों या प्रत्यायोजन को लिखित रूप में सीमित कर दिया जाएगा और लेखा अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

<u>सेवा शर्तें</u>

<u>नियुक्तियां</u>

25. (क) केंद्रीय परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाएगा:

(एक) समूह 'क' - पीबी -3 (पूर्व-संशोधित) में ग्रेड पे5,400/- रुपएसे अन्यून सभी पद [7वेंसीपीसी के अनुसार पेमैट्रिक्स के स्तर 10 या उससे ऊपर]।
(दो)समूह 'ख'- ग्रेडपे4200/- रुपए से अन्यून[वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6] लेकिन पीबी-3 में 5,400/- रुपएसे कम सभी पद [7वेंसीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 09 तक]।
(तीन) समूह 'ग' - सभी पद जिनका ग्रेड पे रु. 1,800/- और अधिक लेकिन 4,200/- रुपये से कम [7वेंसीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स का स्तर 05]।
(ख) सभी पदों पर भर्ती, नियुक्तियां और पदोन्नति शासी निकाय द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी। चयन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से विधिवत गठित चयन समितियों/विभागीयप्रोन्नति समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

(ग) पीबी-3 (पूर्व-संशोधित) [7वेंसीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10] में 5400/- रुपये तक के ग्रेड वेतन वाले सभी पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक होंगे और पीबी-3 में ग्रेड पे5400/- रुपये से अधिक [7वेंसीपीसी के अनुसार पेमैट्रिक्स का स्तर 11] के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी शासी निकाय का अध्यक्ष होगा।

(घ) चयन समिति आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की साख की जांच करेगी और अन्य उपयुक्त नामों, यदि कोई हो, पर भी विचार कर सकती है। चयन समिति किसी भी या सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार कर सकती है जैसा वह उचित समझे और नियुक्ति प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें देगी।

(ङ) महानिदेशक की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

(च) नियुक्ति, पदोन्नति आदि के मामले में,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार की नीति का पालन किया जाएगा।

<u>नियुक्ति की अवधि</u>

26. केंद्रीय परिषद के तहत सेवाएं अगले आदेश तक अस्थायी होंगी जब तक कि किसी अधिकारी को विशेष शर्तों पर निर्दिष्ट वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया हो। अस्थाई कर्मचारी की सेवा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है। केन्द्रीय परिषद, तथापि, कर्मचारी की सेवाओं को एक महीने के नोटिस या तीन महीने के नोटिस की समाप्ति से पहले, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस या शेष भाग की अवधि हेतु वेतन और भत्ते के समान राशि का भुगतान करके समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है|हालांकि, नोटिस की अवधि के बदले में या उसके किसी भी शेष भाग के लिए कर्मचारी अपने वेतन और भत्तों को तब तक सरेंडर नहीं कर सकता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर लिया है।

<u>परिवीक्षा की अवधि</u>

27. जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है, एक कर्मचारी दो साल के लिए परिवीक्षा पर होगा या जैसा कि इस विषय पर भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों में प्रदान किया गया है। परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारी को संतोषजनक सेवा देनी होगी, ऐसा न करने पर उसकी सेवाएं बिना किसी नोटिस या कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। हालांकि, नियुक्ति प्राधिकारी डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

<u>वरिष्ठता</u>

28. प्रत्येक श्रेणी में केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों की वरिष्ठता योग्यता के क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें उन्हें संबंधित ग्रेड में नियुक्ति के लिए चुना गया था|पहले चयनित कर्मचारियों को बाद में चयनित कर्मचारियों से वरिष्ठ रखा जाएगा। किसी भी संदेह की स्थिति में, मामले का निर्णय डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

<u>प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति हेतु सापेक्ष वरिष्ठता</u>

29.प्रत्यक्षभर्ती और पदोन्नति व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठताप्रत्यक्षभर्ती कोटा और पदोन्नति कोटे के मध्य रिक्तियों के रोटेशन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जो भर्ती नियमों में क्रमशः प्रत्यक्षभर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रतिशत पर आधारित होगी। किसी भी संदेह की स्थिति में, मामले का निर्णय डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों द्वारा किया जाएगा|

<u>पूर्णकालिक सेवा वाले कर्मचारी</u>

30. जब तक अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, केंद्रीय परिषद के एक कर्मचारी का पूर्णकाल केंद्रीय परिषद के निपटान में होगा और उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक के किसी भी दावे के बिना केंद्रीय परिषद के उचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक किसी भी तरीके से नियुक्त किया जा सकता है।

<u>सामान्य भविष्य निधि और पेंशन</u>

31. केंद्रीय परिषद के कर्मचारी जिन्हें1.1.2004 से पहले नियुक्त किया गया था और वे पहले से ही जीपीएफ योजना के सदस्य थे और जिन्हें1.1.2004 को या उसके बाद केंद्रीय परिषद में नियुक्त किया गया था, लेकिन परिषद् में उनकी नियुक्ति की तिथि से सामान्य भविष्य निधि के सदस्य हैं, को सामान्य भविष्य निधि में अंशदान जारी रखने की अनुमति होगी, केकेन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार केन्द्रीय परिषद की निधि से पेंशन के पात्र होंगे। दिनांक 1-1-2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

<u>उपदान</u>

32. केन्द्रीय परिषद् के स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की समान श्रेणियों के लिए निर्धारित वेतनमानों पर मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के पात्र होंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बनाए गए प्रासंगिक नियम केंद्रीय परिषद के सभी कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

<u>सेवानिवृत्ति</u>

33. समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम जोशासी निकाय द्वारा अपनाए गए हैं, केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे। बशर्ते कि एक कर्मचारी को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद सेवा में रखा जा सकता है यदि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ और कुशल बना रहता है और उसे सेवा में बनाए रखना केंद्रीय परिषद के हित में है।

34. समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के मौलिक और पूरक नियम और सामान्य वित्तीय नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

<u>पुनर्नियोजित व्यक्तियों का वेतन</u>

35. भारत सरकार के समान कर्मचारियों के लिए लागू आदेश/ निर्देशकेंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगें।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

<u>निजी प्रैक्टिस</u>

36. केन्द्रीय परिषद अपने अधीन सेवारत अनुसंधान कर्मियों को किसी भी प्रकार के निजी या परामर्शी अभ्यास करने की अनुमति नहीं देती है।

<u>टीए के नियमन के लिए गैर-अधिकारियों की स्थिति</u>

37. निजी व्यक्ति जो केंद्रीय परिषद के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं या जिन्हें शुल्क के रूप में पूर्ण या आंशिक रूप से पारिश्रमिक दिया जाता है, ऐसे ग्रेड में पूरक नियमों के तहत यात्रा भत्ते के उद्देश्य हेतुरैंक, जैसा कि केंद्रीय परिषद उनकी स्थिति के संबंध में घोषित कर सकती है।

<u>केंद्रीय परिषद् के कर्मचारियों की वास्तविक और अस्थायी स्थिति</u>

38. वेतन वृद्धि वापस लेने, वेतन निर्धारण, व्यक्तिगत अग्रिम प्रदान करने आदि के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय परिषद् के तीन वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और वे उन्हीं नियमों के अधीन होंगें जो अस्थायी सरकारी सेवकों के समान स्थायी सरकारी सेवकों और तीन वर्षों से कम सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू होंगें।

नोट: उप-नियमों (37 और 38) के तहत नियम और विनियम लागू नहीं होते हैं। विदेश सेवा शर्तों पर केंद्रीय परिषद के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारी।

<u>भारत और विदेश में प्रतिनियुक्ति</u>

39. केंद्रीय परिषद के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जिन्हें भारत या विदेश में उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप दी गई, उन्हें प्रतिनियुक्ति-सह-विशेष अवकाश की शर्तें दी जा सकती हैं। इन शर्तों का अनुदान समय-समय पर भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किए गए आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

40. उप-नियमों के तहत केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों को अवकाश में अनुदान अस्थायी प्रतिस्थापन के रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि किए जाने वाले कार्य की प्रकृति हेतु एक विकल्प को नियुक्त किया जाना अपेक्षित हो।

<u>अवकाश नियम</u>

41. यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972, समय-समय पर संशोधित, अनुबंध के आधार पर नियुक्त केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। केन्द्रीय परिषद के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को उन्हीं नियमों के अधीन अवकाश दिया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के संविदा अधिकारियों पर लागू होते हैं।

<u>कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं</u>

42. केन्द्रीय परिषद के कर्मचारी जिनमें प्रतिनियुक्त और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं, निर्धारित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत स्वीकार्य चिकित्सा सहायता के पात्र होंगे, जहां ऐसी सुविधाएं सीजीएचएस की सहमति से दी गई हैं। वे उस योजना के तहत आवश्यक अंशदान का भुगतान भी करेंगे। सीजीएचएस के अंतर्गत नहीं आने वाले शहरों/ क्षेत्रों में या जहां ऐसी सुविधाओं का विस्तार नहीं किया गया हैं, वहां नियुक्त कर्मचारी यथा आवश्यक परिवर्तनों सहितसीसीएस (चिकित्सा उपस्थिति) नियमके द्वारा शासित होंगे।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

<u>पदों का वेतन मान</u>

43. केंद्रीय परिषद की सेवाओं में अधिकारियों और प्रतिष्ठानों के लिए लागू वेतन और भत्ते भारत सरकार द्वारा उनके अधीन कार्यरत समान कर्मियों के लिए निर्धारित किए जाएंगे।

<u>कर्मचारियों की केंद्रीय परिषद आवास का आवंटन</u>

44. केन्द्रीय परिषद के कर्मचारी इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय परिषद के आवास के आवंटन के पात्र होंगे।

<u>आचरण, अनुशासन और दंड</u>

45. भारत सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम भी केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(i) यदि आरोप पत्र अनुसंधान परिषद के प्रमुख के विरुद्ध है, तो चार्जशीट पर संयुक्त सचिव द्वारा "शासी निकाय के अध्यक्ष / आयुष मंत्री की ओर से" हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ii) यदि आरोप पत्र परिषद के महानिदेशक के अलावा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध है, तो आरोप पत्र पर परिषद के महानिदेशक (चाहे नियमित या स्थानापन्न) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सीसीएस (सीसीए) नियमों में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने वाले आदेशों से अपील, जैसा भी मामला हो,कॉलम4 या 5 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को की जाएगी। ऐसे प्राधिकारी का निर्णय अंतिम (अनुबंध) होगा।

<u>सेवा की अन्य शर्तें</u>

46. सेवा की सामान्य शर्तों, वेतन, भत्तों और दैनिक भत्तों, विदेश सेवा शर्तों, भारत और विदेश में प्रतिनियुक्ति आदि के संबंध में केंद्र सरकार के सेवकों पर लागू नियमों के लिए इन विनियमों में प्रदान नहीं किए गए मामलों और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश और निर्णय केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

<u>स्थानान्तरण के लिए दिशानिर्देश</u>

47. केन्द्रीय परिषद में स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू होंगे:-

1. मुख्यालय के अधिकारियों सहित सभी समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों को 5 वर्षों की सेवा पूरी होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

2. किसी उच्च पद पर पदोन्नत होने पर, किसी अधिकारी को उसके स्थान विशेष पर ठहरने की अवधि पर ध्यान दिए बिना स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसे संस्थानों/इकाइयों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है।

3. आम तौर पर समूह 'ग' के कर्मचारियों को प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं को छोड़कर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

4. पदों की उपलब्धता के अधीन समूह 'ग' से समूह 'ख' पदों पर पदोन्नति पर अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जा सकता है।

5. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद स्वयं के अनुरोध या जनहित में या अनुशासनात्मक कार्रवाई या ऐसे अधिकारियों की उनके होम टाउन/राज्य में स्थानांतरण की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

6. संस्थान/इकाइयों के पुनर्गठन और परिषद की अनुसंधान योजनाओं के बाद समूह 'ग' के कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है।

7. जब कोई जांच चल रही हो, तो अधिकारी के निलंबन के विकल्प के रूप में या जनहित में समूह 'ग' के कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है।

8. कोर्ट के आदेश पर समूह 'ग' स्टाफ सहित सभी स्टाफ और कर्मियों को स्थानांतरित किया जा सकता है।

9. जहां तक संभव हो (प्रशासनिक आधारों को छोड़कर) स्थानान्तरण शैक्षिक वर्ष की समाप्ति के बाद ही करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि परिषद के अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान न हो।

10. यदि अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी राज्य सरकार/केंद्र सरकार या सरकार उपक्रमों की कर्मचारी है, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण जहाँ तक संभव हो (प्रशासनिक आधारों को छोड़कर) उनके पति/पत्नी के पदस्थापन स्थान तक सीमित होगा, जो कि रिक्ति की उपलब्धता के अधीन है, ऐसा न होने पर निकटतम संभावित स्टेशन पर नियुक्ति का विचार किया जाना चाहिए।

11. यदि, किसी भी समय, प्रशासनिक आधार पर, समूह 'ग' स्टाफ सहित किसी भी श्रेणी के किसी भी स्टाफ सदस्य को स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है, तो परिषद उसे एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

12. समूह'क' पद पर नए नियुक्त लोगों को रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन 3वर्ष की अवधि के लिए जनजातीय / दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करनी होगी। ऐसे अधिकारियों को, इस अवधि के पूरा होने पर, उनके होम टाउन या उनके पसंद के आस-पास के स्टेशनों में रिक्ति की उपलब्धता होने पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

13. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का.ज्ञा. संख्या 20014/3/83-ईआईवी दिनांक 14.12.1983 में सरकार के अनुसार समय-समय पर संशोधन करते हुए उत्तर पूर्व के क्षेत्र में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सुविधाओं के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

14. ऐसी स्थितियों में जहां प्रशासनिक और तकनीकी आधार पर कुछ पदों को एक संस्थान/इकाई से संस्थान में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, ऐसे पदों को रखने वाले पदधारियों को पदों के साथ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। महानिदेशक एक इकाई से दूसरी इकाई में पदधारी के

साथ ऐसे पद के स्थानांतरण की आवश्यकता के बारे में व्यक्तिगत रूप से स्वयं को संतुष्ट करेगा और इसका कारण बताते हुए प्रमाणित करेगा कि यह जनहित मेंऔर जहां आवश्यक हो वहां आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया गया है। यह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से और अत्यावश्यकता की स्थिति में कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जाना चाहिए।

15. नैतिक अधमता, वित्तीय गबन और अनुशासनहीनता का आरोप लगाने वाले किसी पदाधिकारी के खिलाफ शिकायतों के आधार पर स्थानांतरण के मामले में, महानिदेशक प्रारंभिक जांच के बाद इस तरह के स्थानांतरण की आवश्यकता के बारे में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होंगे।

16. स्थानान्तरण करते समय, महानिदेशक यह सुनिश्चित करें कि किसी तकनीकी अधिकारी/वैज्ञानिक के किसी विशेष इकाई से स्थानांतरण के कारण चल रहे शोध कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

<u>उप-नियमों में संशोधन</u>

48. उप-नियमों में किसी भी परिवर्तन के लिए शासी निकाय के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

अनुबंध

(उपनियम - 45)

पद का विवरण	प्राधिकरण को दंड और जुर्माना लगाने का अधिकार है जिसे लगाया जाए		अपीलीय प्राधिकारी	
	मामूली जुर्माना	प्रमुख जुर्माना	मामूली जुर्माना	प्रमुख जुर्माना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समूह क [लेवल 11 एवं पे मेट्रिक्स से ऊपर]	अध्यक्ष	अध्यक्ष	शासी निकाय	शासी निकाय
समूह क [पे मेट्रिक्सका लेवल 10]	महानिदेशक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	कार्यकारी समिति
समूह ख एवं ग [पे मेट्रिक्सके लेवल 9 तक]	महानिदेशक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	कार्यकारी समिति

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

<u>अनुसूची -I</u>

महानिदेशक में निहित शक्तियों की अनुसूची

(नियम और विनियम का नियम 4)

क्र. सं.	शक्तियां		सीमा
1.	केंद्रीय परिषद के कर्मचारी को सहायक सेवक घोषित करना		पूर्ण शक्तियाँ।
2.	नियुक्ति से पूर्व फिटनेस के एक चिकित्सा प्रमाण पत्र वितरित करना (व्यक्तिगत मामलों में)		मौलिक नियमों और अनुपूरक नियमों में भारत सरकार की शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार।
3.	वैध अधिकार को निलंबित करना		पूर्ण शक्तियाँ बशर्ते कि वह विचाराधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हो।
4.	वैध अधिकार को निलंबित करना		पूर्ण शक्तियाँ बशर्ते कि वह संबंधित दोनों पदों पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हो।
5.	कर्मचारी को स्थानांतरित करना		पूर्ण शक्तियाँ
6.	दोहरा प्रभार रखने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति करना और एफआर 49 के अनुसार परिलब्धियां तय करना।		पूर्ण शक्तियाँ बशर्ते उसके पास प्रत्येक पद पर नियुक्ति करने की शक्ति हो।
7.	मानदेय की स्वीकृति अथवा अनुदान स्वीकृत करना		एक वर्ष में अधिकतम रु. 2500/-तक पूर्ण शक्ति। आवर्ती मानदेय के मामले में, यह सीमा एक वर्ष में व्यक्ति को कुल आवर्ती भुगतान पर लागू होती है।
8.	परिषद के तकनीकी/अनुसंधान कर्मचारियों की श्रेणियों को 60 वर्ष की आयु के बाद और असाधारण मामलों में 62 वर्ष तक सेवा में बनाए रखना।		पूर्ण शक्तियाँ बशर्ते कि विस्तार उन पदों जिन पर वह नियुक्ति प्राधिकारी है के संबंध में एक बार में एक वर्ष की अवधि तक सीमित हो, और केंद्र सरकार से प्राप्त पूर्व अनुमोदन के अधीन है।
9.	निजी कार्य करने और शुल्क स्वीकार करने की अनुमति देना		एफआर और एसआर में निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए निजी कार्य करने और शुल्क स्वीकार करने की अनुमति देने की पूर्ण शक्तियाँ।
10.	दो या दो से अधिक मार्गों में से सबसे छोटा मार्ग तय करना।		अपने अधिकार क्षेत्र में यात्रा के लिए पूर्ण शक्तियाँ।
11.	सबसे छोटे मार्ग के अलावा किसी		केन्द्रीय परिषद के हित में मार्ग के चयन

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

	अन्य मार्ग से माइलेज भत्ता की अनुमति देना		की पूर्ण शक्तियाँ प्रदत्त हैं।
12.	एक कर्मचारी के कर्तव्य क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करना।		पूर्ण शक्तियाँ
13.	क्या कोई विशेष अनुपस्थिति अनुपस्थिति अथवा कर्तव्य है को तय करना		पूर्ण शक्तियाँ
14.	किसी कर्मचारी को भारत के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर जाने के लिए अधिकृत करना		पूर्ण शक्तियाँ
15.	यात्रा की आवृति और अवधि को सीमित करना		पूर्ण शक्तियाँ
16.	गैर-अधिकारियों को हवाई यात्रा की अनुमति देना।		शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव में निहित है और महानिदेशक इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं (आयुष मंत्रालय के पत्र सं. डी-15020/136/2018-आरडीदिनांक 02.11.2018).
17.	अनुपयोगी हवाई/रेल/टिकटों पर रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करना		पूर्ण शक्तियाँ जहाँ रद्दीकरण परिषद के हित में किया गया |
18.	रेल से जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क मार्ग से व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वास्तविक खर्च की अनुमति देना		पूर्ण शक्तियाँ
19.	एक राजपत्रित अधिकारी (ग्रुप-ए या ग्रुप-बी) को मुख्य रूप से बिल और चेक, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, आकस्मिक रजिस्टर आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्यालय का प्रमुख घोषित करने की शक्ति |वह कुछ मामलों में अपने अधीनस्थ किसी अन्य समूह 'ए' अधिकारी को भी ऐसी शक्तियां सौंप सकता है। (डी एफपीआर -16)		पूर्ण शक्तियाँ
20.	टी.ए. अग्रिम बिल जहां स्थायी टी.ए. अग्रिम उस अधिकारी स्वीकृति की		पूर्ण शक्तियाँ

	किसी अधिकारी की प्रतिहस्ताक्षर करने की अनुमति देने की शक्ति		
21.	यह घोषित करना कि नियंत्रक अधिकारी कौन होगा और उसके मार्गदर्शन के लिए नियम बनाना		पूर्ण शक्तियाँ बशर्ते कोई भी कर्मचारी अपना स्वयं का नियंत्रक अधिकारी घोषित न किया जाए
22.	वर्किंग स्टोर्स, टूल्स और पादप आदि खरीदना।		उसकी प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत अथवा जीबी/ईसी/एसएफसी द्वारा अधिकृत इस तरह के उद्देश्य के लिए बजट प्रावधान की सीमाओं तक।
23.	बजट सीमाओं के भीतर अनावर्ती आकस्मिक प्रभारों की स्वीकृत करने की शक्तियां		ऐसे प्रयोजन के लिए बजट प्रावधान की सीमाओं तक।
24.	स्थायी अग्रिमों स्वीकृत करने की शक्तियाँ		पूर्ण शक्तियाँ
25.	सार्वजनिक अथवा सैन्य शिविर करों की स्वीकृत करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
26.	बजट सीमा के भीतर उसके द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सरकारी और गैर-सरकारी प्रकाशनों की खरीदने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
27.	साधारण कार्यालय आवास का किराया स्वीकृत करने की शक्ति		दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रु.15.00 लाख प्रति वर्ष और अन्य स्थानों पर रु.8.00 लाख प्रति वर्ष।यह सीपीडब्ल्यूडी/राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा मूल्य निर्धारण के अधीन है।
28.	भवन और छोटे कार्यों का रखरखाव, मरम्मत और परिवर्तन **(i)** सरकारी भवनों की सामान्य मरम्मत। (ii) किराए पर लिए गए और अपेक्षित भवनों की मरम्मत और परिवर्तन। नोट :ऐसा व्यय तभी किया जा सकता है जब मकान मालिक ने		रु.20.00 लाख तक निधि की उपलब्धता के अधीन और जीएफआर के तहत ऐसे काम करने के लिए अधिकृत सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/सरकारी एजेंसियां/संगठन के माध्यम से।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

	स्वयंशुल्कों की पूरा करने से इनकार कर दिया हो।		
29.	आकस्मिक स्वरूप के नियत आवर्ती प्रभारों को स्वीकृत करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
30.	टेलीफोन किराया स्वीकृत करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
31.	स्थानान्तरणाधीन अधिकारी को अग्रिम वेतन स्वीकृत करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
32.	स्वयंको और अन्य कर्मचारी कोटी.ए. का अग्रिम अनुदान देने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
33.	समय-समय पर संशोधित सरकारी नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और अंतिम निकासी को मंजूरी देने की शक्ति।		पूर्ण शक्तियाँ
34.	समय-समय पर संशोधित सरकारी नियमों के अनुसार कानूनी वादों के लिए व्यय करने और अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति, जिसमें परिषद पक्षकार है।		पूर्ण शक्तियाँ
35.	अग्रिमों के पुनर्भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
36.	असंवितरित वेतन और भत्तों को बनाए रखने का आदेश देने की शक्ति		तीन माह तक
37.	समय-समय परकेंद्र सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार बच्चों के शिक्षा भत्ते और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने की शक्ति।		पूर्ण शक्तियाँ
38.	समय-समय परकेंद्र सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी द्वारा अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के संबंध में किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

39.	कार्यालय उपकरण जैसे कंप्यूटर, फैक्स, फोटोकॉपियर, फ्रैंकिंग मशीन आदि खरीदने की शक्ति।		जीएफआर/डीएफपीआर के तहत सामान्य जांच और कोडल औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन पूर्ण अधिकार।
40.	भंडार, धन, अग्रिम आदि के अपूरणीय मूल्य की बट्टे खाते में डालने के संबंध में शक्ति बशर्ते कि (I) नुकसान चोरी के कारण न हो (II) यह किसी व्यक्तिगत नौकर की ओर से सिस्टम की खराबी या गंभीर लापरवाही का खुलासा नहीं करता है या केंद्रीय परिषद के सेवक जो संभवतः अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं जिसके लिए उच्च प्राधिकारी के आदेश की आवश्यकता होती है		रु. 1,00,000/- चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण दुकानों के नुकसान के लिए और रु. 20,000/-अन्य मामलों में जो चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण एक साथ जिम्मेदारी तय करने के अधीन हैं।
41.	अभिलेखों को नष्ट करने का आदेश देने की शक्ति।		परिषद के विशिष्ट अभिलेखों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ। अन्य अभिलेखों के लिए, सरकारी निर्देशों के अनुसार।
42.	केन्द्रीय परिषद के अनुपयोगी भण्डारों या खराब होने वाली वस्तुओं के हित में नीलामी द्वारा या अन्यथा बिक्री का आदेश देना		पूर्ण शक्तियाँ
43.	अतिथि गणमान्य व्यक्तियों या सार्वजनिक निकायों को अपने विवेक से उपहार देने की शक्ति		प्रत्येक मामले में रुपये10,000/-तक और एक वर्ष में अधिकतम 12 अवसरों तक
44.	अपने स्वयं के यात्रा भता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
45.	केन्द्रीय परिषद के कर्मचारियों की सीसीएस (अवकाश) नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश, विशेष निःशक्तता अवकाश सहित सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
46.	चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर लेवल10 [पूर्व-संशोधित पे बैंड ३ अधिकतम ग्रेड पे 5400/-]		पूर्ण शक्तियाँ

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

	और उससे नीचे के पदों के संबंध में मौलिक या अस्थायी रूप से नियुक्ति देने की शक्ति।		
47.	अंशकालिक कर्मचारियों को नियुक्त करने और समेकित आधार पर उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ
48.	समूह ग और घ पदों के पदधारियोंजिनके लिए कोई अवकाश आरक्षित नहीं है के समूह क और ख पदों पर अवकाश या स्थानापन्न पदोन्नति के कारण रिक्तियों में बाहरी लोगों को स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करने की शक्ति		उन पदों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ जिनके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी है।
49.	मुद्रण और जिल्दसाजी		कोडल औपचारिकताओं के अधीन पूर्ण अधिकार।
50.	विविध मदों पर व्यय करने की शक्ति		पूर्ण शक्तियाँ [समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अर्थव्यवस्था के निर्देशों में निहित शर्तों के अधीन शक्तियां]|
51.	यंत्र/उपकरण आदि खरीदने की शक्ति/अनुसंधान अध्ययन आदि की अल्पकालिक परियोजनाओं को शुरू करना		धन की उपलब्धताके अधीनरु. 2.00 करोड़ तक और निम्नलिखित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं और उत्पादक व्यय को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी।
52.	औषधियों,रसायन/अपरिष्कृत दवाओं आदि को खरीदने की शक्ति।		निम्नलिखित कोडल औपचारिकताओं और बजट की उपलब्धता के अधीन पूर्ण अधिकार।
53.	परिषद के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति		हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स के अनुसार पूर्ण शक्तियां।
54.	औषध विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य स्वायत्त सरकार/डीएसटी अनुमोदित अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानके माध्यम से औषध मानकीकरण और परीक्षण पर खर्च		पूर्ण शक्तियाँ

	करने की शक्ति।		
55.	अनुबंध, करार आदि को निष्पादित करना।		10.00 लाख रुपये तक के अनुबंधों, करारों आदिको निष्पादित करने के लिए महानिदेशक/निदेशक की शक्तियां।
56.	विविध अथवा आकस्मिक प्रकृतिके व्यय की स्वीकृति देना।		प्रत्येक मामले में रुपये 5.00 लाखतक सीमित महानिदेशक/निदेशक की शक्तियां ।
57	मोटर वाहनों की मरम्मत		पूर्ण शक्तियाँ
58.	कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान		महानिदेशकों/निदेशकों को उन क्षेत्रों में कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का अधिकार है जो सीजीएचएस के अंतर्गत नहीं आते हैं बशर्ते कि ऐसे समझौते यदि वे केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) [चिकित्सा उपस्थिति] नियम, 1944 से अधिक उदार हैं, तो विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
59.	स्वीकृत पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति।		उचित चयन प्रक्रिया के अधीन, महानिदेशक/निदेशक एक वर्ष के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। यह अंशकालिक आधार पर चयन के लिए भी लागू होता हैं।
60.	संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, मेलों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सीएमई, आईसीई गतिविधियों आदि के आयोजन के लिए व्यय स्वीकृत करना		रु.25,00,000/- तक, बशर्ते कि निधियां परिषद के स्वीकृत बजट अनुदान के अंतर्गत देय हों।
61.	आकस्मिक व्यय		रुपये 5.00 लाखतक

<u>अनुसूची- II (नियमों और विनियमों के पैरा 4.9)</u>

कार्यालय प्रमुख के रूप में घोषितअधिकारी को नियमों और विनियमों के तहत बनाई गई शक्तियों का प्रत्यायोजन

क्र.सं.	**शक्तियां**		**सीमा**
1.	कार्यालय प्रमुख के रूप में		विभिन्न नियमों और विनियमों के तहत पूर्ण।
2.	उपभोज्य मदों जैसे स्टेशनरी, छपाई, रबर स्टाम्प और बैठक, कार्यशालाओं और कर्मचारियों की बैठक आदि के लिए जलपान सहित अन्य विविध प्रकृतिवस्तुओं की स्वीकृत करने की शक्ति।		पूर्ण, बशर्ते कि बजट प्रावधान से अधिक न हो और नियमों के अनुसार कोडल औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन हो।
3.	विविध अथवा आकस्मिक प्रकृति के व्यय अर्थात भवन का रखरखाव, फर्नीचर, यंत्र, उपकरण, मशीनरी की मरम्मत और संदर्भ पुस्तकों और चिकित्सा पुस्तकों की खरीद आदि की मंजूरी देने की शक्ति।		प्रत्येक मामले में रु.10,000/- तक।
4.	विशेष वेतन देने की शक्ति		पूर्ण, नियमानुसार।
5.	यात्रा भत्ते/डी.ए./वेतन और एलटीसी स्थानान्तरण/दौरों आदि को स्वीकृत करने की शक्ति।		पूर्ण, स्वयं के मामले को छोड़कर।
6.	टेलीफोन बिल, बिजली, ईंधन और अन्य शुल्क स्वीकृत करने की शक्ति।		पूर्ण
7.	सर्विस बुक/अवकाश खाते, स्टॉक रजिस्टर आदि में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने की शक्ति।		पूर्ण
8.	अध्ययन अवकाश और बकाया अवकाश के अलावा सीसीएस (अवकाश) नियमों के अनुसार सभी समूहों को मातृत्व/पितृत्व अवकाश, ईओएल सहित सभी प्रकार का अवकाश देने की शक्ति।		पूर्ण, नियमानुसार अपने स्वयं के मामले को छोड़कर। समूह'ग' स्टाफ के संबंध में 6 महीने तक का ईओएल। समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के संबंध में तीन महीने।
9.	सभी समूहों के संबंध में आवधिक वेतन वृद्धि प्रदान करने की शक्ति।		पूर्ण, स्वयं के मामले को छोड़कर।
10.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, टी.ए. और		पूर्ण, सी.एस.एम.ए.नियमोंके अनुसार। स्वयं

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

	चिकित्सा उपचार पर अग्रिम को मंजूरी देने की शक्तियां|		के मामले में नियमों में छूट के मामले को छोड़कर।
11.	स्वीकृत व्यय/जीपीएफ अग्रिम/आहरण सहित भुगतान के लिए पारित बिलों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति।		बिना किसी वित्तीय सीमा के
12.	अंतिम भुगतान को छोड़कर अग्रिम को निकासी में परिवर्तित करने सहित जीपीएफ अग्रिम/आहरण को मंजूरी देने की शक्ति।		पूर्ण, नियमानुसार स्वयं के मामले को छोड़कर।
13.	सभी समूहों को वाहन शुल्क स्वीकृत करने की शक्ति।		पूर्ण, नियमानुसार स्वयं के मामले को छोड़कर।
14.	सीईए और शिक्षण शुल्क/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने की शक्ति।		पूर्ण, नियमानुसार स्वयं के मामले को छोड़कर।
15.	अवकाश रिक्तियों के लिए या आवश्यकता के आधार पर समूह 'ग' के दैनिकवेतन/अंशकालिक कर्मचारियों/अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति।		पूर्ण, लेकिन प्रत्येक मामले में एक बार में 89 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
16.	चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के लिए एप्रन सहित नियमानुसार पात्र समूह 'ग' कर्मचारियों को पोशाक खरीदना और जारी करना।		पूर्ण, नियमानुसार।
17.	समूह'ग' के कर्मचारियों को ओ.टी.ए. का अनुदान।		पूर्ण
18.	उपभोज्य और गैर-उपभोज्य वस्तुओं; औषधियों, प्रयोगशाला रसायन/कांच के सामान और फर्नीचर, यंत्र, उपकरण आदिकी स्वीकृति।		प्रत्येक मामले में रु.25,000/-
19.	बीमा का भुगतान, यंत्र/उपकरण का रखरखाव ए.एम.सी., फोटोकॉपियर शुल्क आदि की स्वीकृति।		पूर्ण, नियमानुसार।
20.	मुख्यालय में एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में कर्मचारियों का स्थानांतरण,अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक स्तर तक)		पूर्ण

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था\| (एजेंडा मद संख्या 23.21)

<u>अनुसूची- III (नियमों और विनियमों के पैरा 4.9)</u>

लेखा अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी की शक्तियां

क्र.सं.	**शक्ति की प्रकृति**		**प्रत्यायोजन की सीमा**
1.	मुख्यालय और यूनिट स्टाफ के वेतन, टीए और अन्य भत्तों के बिल पास करना।		पूर्ण
2.	आकस्मिक व्यय के लिए बिलों की पारित करना और प्रतिहस्ताक्षर करना।		पूर्ण
3.	कर्मचारियों के अनुमोदित दौरों के लिए टी.ए. बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करना ।		पूर्ण
4.	अधिकारियों के अनुमोदित दौरों के लिए टी.ए. बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करना ।		पूर्ण
5.	रोकड़ बही में प्रविष्टियों को सत्यापित करना।		पूर्ण
6.	मासिक नकद शेष की जाँच करना।		पूर्ण
7.	केंद्रीय परिषद द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले गैर-अधिकारियों और अधिकारियों के बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करना (जहां टी.ए.केंद्रीय परिषद द्वारादेय है)		पूर्ण
8.	अनुमोदित व्यय/भुगतान के लिए पारित बिलों के संबंध में किसी प्राधिकृत अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति।		बिना किसी वित्तीय सीमा के।

प्राधिकारी- 12.12.2018 को हुई शासी निकाय की 23वीं बैठक का कार्यवाही सारांश जिसे दिनांक 08 जनवरी, 2019 के परिषद के पत्र संख्या 5-2/2018- सीसीआरएएस/प्रशा./जीबी/23/4276 द्वारा परिचालित किया गया था| (एजेंडा मद संख्या 23.21)